न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :– 100/23–24

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा – 46)

अरबिन्द हेरेंज – विक्रेता

बिरसा संगा – क्रेता

...त की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
...9.06.23	**आदेश**	

आवेदक अरबिन्द हेरेंज पिता स्व0 रावेल हेरेंज ग्राम–मालगो टंगरा टोली, पो0–विनगाँव, थाना–कर्रा, जिला खूँटी ने बिरसा संगा पिता देवा संगा ग्राम–मेहा, पो0–कोने, थाना–कर्रा, जिला खूँटी के साथ निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतू आवेदन पत्र दिया है।

ग्राम	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा सं0	रकवा (एकड़ में)
मालगो	117	11	785	0.30

उभय पक्ष अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए खतियान/आवासीय प्रमाणपत्र/जाति प्रमाणपत्र एवं लगान की रसीद 004842 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। अंचल अधिकारी, कर्रा के पत्रांक 386 दिनांक 07.06.2023 से जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जॉच प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत भूमि खतियानी है। खतियानी रैयत का नाम बड़का करमा मुण्डा वगैरह हैं। पंजी II के अनुसार बड़का करमा मुण्डा वगैरह के नाम भूमि का रकवा 41.31 एकड़ भूमि है। आवेदक के पास कुल रकवा 9.62 एकड़ भूमि है। मालगुजारी का भुगतान वित्तीय वर्ष 2022–23 तक किया गया है। भूमि का न्यूनतम प्रस्तावित 16679.00 (सोलह हजार छः सौ उन्नासी) रूपये है। भूमि विक्रय के बाद आवेदक के पास भूमि अवशेष 9.32 एकड़ रह जाती है। इस प्रकार आवेदक भूमिहीन नहीं होते हैं।

आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रेता एवं विक्रेता एक ही जिला खूँटी के निवासी हैं एंव एक ही जाति (अनुसूचित जाति समुदाय) के सदस्य हैं। आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे की है। जिसे मकान बनाने हेतु बिक्री करना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि गैर मजरूआ आम, खास, मन्दिर, मस्जिद, भूईहरी, पहनाई, कैसरेहिन्द, भूहदबन्दी एवं खुटकटी के दायरे में नहीं है। अंचल अधिकारी, कर्रा ने क्रेता–विक्रेता को भूमि क्रय–विक्रय करने हेतु अनुशंसा किये हैं।

आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता को सुनने प्रस्तुत कागजात एवं अंचल अधिकारी, कर्रा से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन एवं किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण अरबिन्द हेरेंज पिता स्व0 रावेल हेरेंज को बिरसा संगा पिता देवा संगा के साथ ग्राम मालगो खाता सं0 11 खेसरा संख्या 785 कुल रकबा 0.30 एकड़ भूमि न्यूनतम प्रस्तावित दर दर 16679.00 (सोलह हजार छः सौ उन्नासी) रूपये प्रति डिसमिल या जिला अवर निबंधक, खूँटी के द्वारा निर्धारित दर पर अंचल अधिकारी, कर्रा के अनुशंसा के आधार पर भूमि विक्रय की अनुमति दी जाती है।

इस आदेश से अन्य अंशदार या हिस्सेदार का हक प्रभावित नहीं होगा। अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें।

लेखापित एवं संशोधित

09/06/23
भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।

09/06/23
भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।

Digitally signed by Emart
Date: 2024.04.02 16:06:00 +05:30
Location: 192.168.1.104